

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 सितम्बर 2018—भाद्र 30 शक 1940

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959, (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 263 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निदेश करती है, कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23

सन् 2018) के द्वारा उक्त संहिता की धारा 41 के विलोपित किए जाने के ठीक पूर्व बनाये गये समस्त नियम उक्त संहिता की धारा 258 के अंतर्गत बनाये गये नियम समझे जाएंगे और उक्त संहिता के प्रावधानों के अनुसार नए नियमों द्वारा जब तक वे शून्यवत या परिवर्तित नहीं कर दिये जाते, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू रहेंगे।

2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रवृत्त होने अर्थात् 25 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर, 2018

क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-9/2018/सात/शा.6 दिनांक 20 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, dated 20th September, 2018

No. F.- 2-9/2018/VII/Se.6

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 263 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, directs that all rules made under section 41 of the said Code immediately prior to its deletion by the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Amendment) Act, 2018 (No. 23 of 2018), shall be deemed to be made under section 258 of the said Code and shall apply mutatis mutandis till annulled or altered by new rules in accordance with the provisions of the said Code.

2. This notification shall come into force on the commencement of the Madhya Pradesh Land Revenue (Amendment) Act, 2018 (No. 23 of 2018) that is 25th September, 2018.

By order and the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर, 2018

क्रमांक एफ. 2-13/2018/सात/शा.6

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (सीमांकन) नियम, 2018 का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (पेंसठ-क) के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 129 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुये तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 187-6477-सात -एन (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 जनवरी, 1960 को प्रकाशित की गई थी, को अतिष्ठित करते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से पंद्रह दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा।

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप नियमों के संबन्ध में किसी भी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल को प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (सीमांकन) नियम, 2018 है।
 - (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं —
 - (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —
 - (क) 'संहिता' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);
 - (ख) 'प्रारूप' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्रारूप;
 - (ग) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
 - (घ) 'धारा' से अभिप्रेत है संहिता की धारा;
 - (ङ) 'दल का लीडर' से अभिप्रेत है, नियम 8 के अधीन गठित दल का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो कि इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, तथा संहिता में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो संहिता में कमशः उनके लिए समनुदेशित किए गए हैं।

3. सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए आवेदन प्ररूप-एक में होगा।
4. आवेदक, सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए ऐसी फीस का भुगतान करेगा जो कि कलेक्टर, समय-समय पर, आयुक्त, भू-अभिलेख के अनुमोदन से विनिश्चित करे:

परन्तु नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन भिन्न भिन्न जिलों में सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने में सहायता करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों को संदत्त किये जाने वाले अपेक्षित प्रभारों पर आधारित भिन्न भिन्न जिलों के लिए भिन्न भिन्न फीस नियत की जा सकेगी:

परन्तु यह और कि नियम 7 के उपनियम(1) के अधीन ऐसी एजेंसियों के अधिकृत होने तक आवेदक इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व नियत फीस का भुगतान करेगा।

5. धारा 129 की उपधारा (2) के अधीन सीमांकन रिपोर्ट तहसीलदार को प्ररूप-दो में प्रस्तुत की जायेगी।
6. धारा 129 की उपधारा(7) के अधीन सीमांकन रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्ररूप-तीन में प्रस्तुत की जायेगी।
7. (1) कलेक्टर, आयुक्त, भू-अभिलेख के नियंत्रणाधीन धारा 129 के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने में सहायता करने के लिए एक या एक से अधिक एजेंसी को जिले के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।
 - (2) तहसीलदार, कलेक्टर द्वारा, समय-समय पर, जारी निदेशों के अनुसार धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने में राजस्व निरीक्षक या नगर रावेक्षक की सहायता करने के लिए उपनियम(1) के अधीन प्राधिकृत एजेंसियों में से किसी एक एजेंसी को लगा सकेगा।
 - (3) उपखण्ड अधिकारी, कलेक्टर द्वारा, समय-समय पर, जारी निदेशों के अनुसार धारा 129 की उपधारा (6) के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने हेतु उपनियम(1) के अधीन प्राधिकृत एजेंसियों में से किसी एक एजेंसी को लगा सकेगा।
8. (1) धारा 129 की उपधारा (6) के अधीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त दल में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे—

(क) अधीक्षक, भू-अभिलेख या सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख या राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक दल के लीडर के रूप में; और

(ख) अन्य राजस्व निरीक्षक या नगर सर्वेक्षक सदस्य के रूप में।

(2) उपखण्ड अधिकारी, यदि वह उचित समझे, उपनियम (1) के अधीन गठित दल में भूमि सीमांकन में विशेषज्ञता रखने वाले एक या एक से अधिक व्यक्तियों को रख सकेगा।

9. धारा 129 के अधीन संनिर्मित सीमा चिन्हों का माप (डायमेंशन) तथा विनिर्देश अनुसूची के अनुसार होंगे:

परन्तु नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन एजेंसियां अधिकृत होने के ऐसे समय तक, सीमा चिन्हों का माप (डायमेंशन) तथा विनिर्देश वही होंगे जो इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व विनिर्दिष्ट थे।

10. आयुक्त, भू-अभिलेख, समय समय पर, धारा 129 के अधीन सीमांकन करने तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए अनुसरित किए जाने वाले तकनीकी अनुदेश जारी कर सकेगा।

अनुसूची-

(नियम 9 देखिये)

धारा 129 के अधीन सीमांकन के दौरान संनिर्मित किये जाने वाले सीमा चिन्हों के विनिर्देश

| स.क्र. | सीमा चिन्ह का प्रकार | विनिर्देश |
|--------|---------------------------|--|
| 1. | प्रापर्टी पिन टाइप-1 क | (1) गैलवनाइज्ड स्टील कोटिंग के साथ माइल्ड स्टील बार या प्राइमर की परत के बाद हल्के पीले रंग से दो कोट किये जाएं (2) व्यास- 2.5 से.मी. (3) लम्बाई- 90 से.मी. (4) ऊपरी सिरा- (क) ऊपर की ओर 5 से.मी. व्यास का चिपटा(चौड़ा) तथा ऊपर से नीचे 2.5 से.मी. स्तूपाकार हो (ख) ऊपरी सतह पर निम्नलिखित पद उकेरना "मध्यप्रदेश शासन प्रापर्टी पिन टाइप-1. छेड़छाड़ या नष्ट न करें" (5) स्तूपाकार पिन का निचला सिरानुकीला खांचेदार |

| | | |
|----|-------------------------|--|
| | | <p>(6) सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक के सीमांकन के समय यथास्थिति, पिन को इस प्रकार जमीन के ऊर्ध्वाकार रूप में डाला जाये जो 10 से.मी. जमीन के ऊपर दिखाई दे।</p> <p>(7) कांक्रीट मिक्सर या अन्य उचित सामाग्री के उपयोग द्वारा भूमि पर पिन लगाने के लिए भूमिस्वामी अपनी स्वयं की सामाग्री तथा श्रमिक का उपयोग करेगा।</p> |
| 2. | प्रापटी पिन टाइप-1 ख | <p>(1) गैलवनाइज्ड स्टील कोटिंग के साथ माइल्ड स्टील बार या प्राइमर की परत के बाद हल्के पीले रंग से दो कोट किये जाएं</p> <p>(2) व्यास- 1.5 से.मी.</p> <p>(3) लम्बाई- 90 से.मी.</p> <p>(4) ऊपरी सिरा-</p> <p>(क) ऊपर की ओर 5 से.मी. व्यास का चिपटा (चौड़ा) तथा ऊपर से नीचे 2.5 से.मी. स्तूपाकार हो</p> <p>(ख) ऊपरी सतह पर निम्नलिखित पद उकेरना</p> <p>“मध्यप्रदेश शासन प्रापटी पिन टाइप-1. छेड़छाड़ या नष्ट न करें”</p> <p>(5) स्तूपाकार पिन का निचला सिरा नुकीला खांचेदार</p> <p>(6) सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक के सीमांकन के समय यथास्थिति, पिन को इस प्रकार जमीन के ऊर्ध्वाकार रूप में डाला जाये जो 10 से.मी. जमीन के ऊपर दिखाई दे।</p> <p>(7) कांक्रीट मिक्सर या अन्य उचित सामाग्री के उपयोग द्वारा भूमि पर पिन लगाने के लिए भूमिस्वामी अपनी स्वयं की सामाग्री तथा श्रमिक का उपयोग करेगा।</p> |
| 3. | प्रापटी पिन टाइप-3 | <p>(1) आर.सी.सी. पिलर या हल्के पीले रंग में पेन्ट किया हुआ केवल एक पत्थर का स्तम्भ</p> <p>(2) 60 से.मी. X 15 से.मी. X 15 से.मी. जमीन के ऊपर 20 से.मी. के साथ कम से कम 15 से.मी. पी.सी.सी. सीमेंट ब्लाक का उपयोग करते हुये जमीन पर स्थिर करना</p> |
| 4. | प्रापटी पिलर टाइप-3 | <p>(1) गैलवनाइज्ड स्टील कोटिंग के साथ माइल्ड स्टील बार या प्राइमर की परत के बाद हल्के पीले रंग से दो कोट किये जाएं</p> <p>(2) व्यास- 1.5 से.मी.</p> <p>(3) लम्बाई- 90 से.मी.</p> <p>(4) ऊपरी सिरा-</p> |

| | | |
|----|---------------------------|---|
| | | <p>(क) ऊपर की ओर 5 से.मी. व्यास का चिपटा (चौड़ा) तथा ऊपर से नीचे 2.5 से.मी. स्तूपाकार हो</p> <p>(ख) ऊपरी सतह पर निम्नलिखित पद उकेरना</p> <p>“मध्यप्रदेश शासन प्रापटी पिन टाइप-1. छेड़छाड़ या नष्ट न करें”</p> <p>(5) स्तूपाकार पिन का निचला सिरा नुकीला खांचेदार</p> <p>(6) सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक के सीमांकन के समय यथास्थिति, पिन को इस प्रकार जमीन के ऊर्ध्वाकार रूप में डाला जाये जो 10 से.मी. जमीन के ऊपर दिखाई दे।</p> <p>(7) कांक्रीट मिक्सर या अन्य उचित सामाग्री के उपयोग द्वारा भूमि पर पिन लगाने के लिए भूमिस्वामी अपनी स्वयं की सामाग्री तथा श्रमिक का उपयोग करेगा।</p> |
| 5. | प्रापटी पिन कैप-टाइप-1 | <p>(1) पी.सी.सी. ब्लाक या केवल एक पत्थर का स्तम्भ</p> <p>(2) व्यास-15 से.मी. X 15 से.मी. X 20 से.मी.</p> <p>(3) 90 डिग्री पर बेलनाकार घेरा के साथ 3 से.मी. समान व्यास की कैप की दो विपरीत दिशाओं के बीच पड़ने वाले केन्द्र में बेलनाकार घेरा जो वह खुला हुआ हो</p> <p>(4) प्रापटी पिन के सिरे पर टिकी हुई पतली नाली होने की बेलनाकार घेरा का ऊपरी सिरा</p> <p>(5) कैप भूमि के उस स्थान पर रखा जाएगा जहां कोई प्रापटी पिन- टाइप-3 स्थापित की जानी हो तथा पिन प्रापटी कैप की सतह तक कैप को बेलनाकार घेरे द्वारा जमीन में स्थापित किया जाएगा</p> <p>(6) प्रापटी पिन कैप का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक नहीं होगा</p> |
| 6. | प्रापटी पिन कैप-टाइप-2 | <p>(1) पी.सी.सी. ब्लाक या केवल एक पत्थर का स्तम्भ</p> <p>(2) व्यास-15 से.मी. X 15 से.मी. X 20 से.मी.</p> <p>(3) 90 डिग्री पर बेलनाकार घेरा के साथ 3 से.मी. समान व्यास की कैप की दो विपरीत दिशाओं के बीच पड़ने वाले केन्द्र में बेलनाकार घेरा जो वह खुला हुआ हो</p> <p>(4) प्रापटी पिन के सिरे पर टिकी हुई पतली नाली होने की बेलनाकार घेरा का ऊपरी सिरा</p> <p>(5) कैप भूमि के उस स्थान पर रखा जाएगा जहां कोई</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | प्रापर्टी पिन- टाइप-3 स्थापित की जानी हो तथा पिन प्रापर्टी कैप की सतह तक कैप को बेलनाकार घेरे द्वारा जमीन में स्थापित किया जाएगा (6) प्रापर्टी पिन कैप का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक नहीं होगा |
|--|--|--|

टिप्पणी :

1. सीमांकन के दौरान-प्रापर्टी पिन को इन नियमों में उपबन्धित को ऐसे अंतरालों पर सीमा चिन्ह के रूप में रखा जाएगा।
2. सीमांकित किये जा रहे सर्वेक्षण संख्यांक, ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक के कोनों में प्रापर्टी टाइप-1 या टाइप-2 पिन का उपयोग किया जाएगा ये सीमांकन होने में भू-खण्ड के चारों कोनों पर या भू-खण्ड के कम से कम चार स्थानों पर स्थापित होंगे।
3. प्रापर्टी टाइप-1, टाइप-2 या टाइप-3 पिन का उपयोग सर्वेक्षण संख्यांक की सीमा के समस्त अन्य मध्यस्थ स्थानों में किया जाएगा जहां सीमा चिन्हों को इन नियमों के अधीन स्थापित किया जाना अपेक्षित है, ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक को सीमांकित किया जा रहा है।
4. आवेदक भूमिस्वामी उपयोग किए जाने वाले पिन के टाइप का निर्णय करेगा जब कभी भूमिस्वामी ने एक से अधिक टाइप का विशिष्ट प्रयोजन के लिए विहित किया गया हो।
5. जहां जमीन पर प्रापर्टी पिन के भाग में कोई बागड़ (फेन्स) या दीवाल संनिर्मित की गई हो उसमें वृद्धि कर सकेगा और दीवाल या बागड़ के भाग में पिन लगा सकेगा।
6. सीमांकन की कार्यवाही के दौरान संनिर्मित सीमा चिन्हों को बेहतर दिखाई देने के लिए भूमिस्वामी के आवेदन पर संनिर्मित सीमाचिन्हों में प्रापर्टी पिन कैप का उपयोग किया जा सकेगा।
7. भूमिस्वामी ने जिस भूमि की सीमा पर सीमा चिन्ह सृजित किये हैं संनिर्मित सीमा चिन्हों के अनुरक्षण तथा सुरक्षा के लिए जबाबदेह होगा।
8. जहां तहसीलदार भूमिस्वामी या किराी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करता है कि किसी व्यक्ति ने बिना किसी प्राधीकार के किसी सीमा चिन्ह को हटाया है या क्षति पहुँचाई है या सीमा चिन्ह की स्थिति में कोई परिवर्तन किया है तो वह ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह ठीक समझे, इस प्रकार हटाये गये या क्षति पहुँचाये गये या जिसकी स्थिति में परिवर्तन किया गया है, पांच सौ रुपये प्रति सीमा चिन्ह शास्ति अधिरोपित करेगा। तहसीलदार सीमा चिन्ह को फिर से स्थापित भी करवाएगा तथा इस प्रकार क्षति कारितएसे व्यक्ति से पूरे खर्च तथा अधिरोपित की गई शास्ति से अधिक की वसूली करेगा।
9. सी.एल.आर. कतिपय स्थितियों के लिए अंतरालों में वृद्धि करने या कमी करने के निदेश जारी करेगा।

प्ररूप-एक

(नियम.3 देखिए)

सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए आवेदन

प्रति,

तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील.....

जिला.....म.प्र.

मैं/हम.....एतद्वारा, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार भूमि का सीमांकन तथा सीमा चिन्हों को संनिर्मित करने के लिए अनुरोध करता हूँ/करते हैं

1. आवेदक का विवरण

| स. क्रमांक | नाम तथा पता | पिता/पति/संरक्षक का नाम | मोबाइल नम्बर | अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य | आधार नं./वैकल्पिक पहचान | अभ्युक्ति |
|------------|-------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|-------------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |

2. सीमांकित की जाने वाली भूमि का विवरण

ग्राम / नगरीय क्षेत्र.....पटवारी हल्का / सेक्टर नम्बर.....राजस्व निरीक्षक वृत्त..... तहसील.....जिला.....

| सरल क्रमांक | सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक | क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्गमीटर में) | धारक का नाम | लगे हुये सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक का विवरण |
|-------------|--|-----------------------------------|-------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

(3) लगी हुई भूमि के धारक का विवरण

| स. क. | सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक | धारक का नाम | पिता/पति/संरक्षक का नाम | पूर्ण पता | मोबाइल फोन नम्बर |
|-------|--|-------------|-------------------------|-----------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |

4. भुगतान की गई फीस के ब्यौरे

| राशि अंकों में | राशि शब्दों में | पावती के ब्यौरे |
|----------------|-----------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

घोषणा

मैं / हम पुत्र / पुत्री / पति पता (पूर्ण पता मोबाइल नम्बर सहित)
एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/ हूँ कि मेरे /हमारे द्वारा दी गई
 जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात
 गलत नहीं की गई है। मैं / हम यह भी समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई
 जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।

तारीख

स्थान

हस्ताक्षर

नाम.....

आवेदक

आवश्यक संलग्न :

1. खसरे की प्रति
2. सीमांकित किए जाने वाले सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक व नक्शों की प्रति जिसमें लगे हुये सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक सम्मिलित है
3. फीस पावती की प्रति

प्ररूप-दो

(नियम 5 देखिये)

राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक की सीमांकन रिपोर्ट

राजस्व प्रकरण क्रमांक.....

न्यायालय तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदारतहसील.....
जिला.....मध्यप्रदेश

तारीख.....सीमांकन रिपोर्ट

आपके आदेश दिनांकके अनुपालन में भूमिस्वामीपटवारी
हल्का नम्बर/सेक्टर नम्बर ग्राम/नगरीय क्षेत्रमें अवस्थित
सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक के सीमांकन की रिपोर्ट पटवारी ने
निम्नानुसार प्रस्तुत की है :

1. सीमांकन के क्रियान्वयन की तारीख.....
2. सीमांकन शुरू होने का समयसीमांकन समाप्त होने का समय.....
3. हितबद्ध पक्षकारों को दिये गए सीमांकन के नोटिस का विवरण

| स.क्र. | नाम | नोटिस की तामिली का प्रकार तथा तारीख |
|--------|-----|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

4. पक्षकारों का विवरण जिन्हें नोटिस तामिल नहीं हो सका

| स.क्र. | नाम | नोटिस की तामिल न होने के कारण |
|--------|-----|-------------------------------|
| | | |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-----|-----|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

5. सीमांकन के दौरान वर्तमान अधिकारियों तथा पक्षकारों के नाम

| स.क्रं. | नाम | पदनाम |
|---------|-----|-------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

6. संनिर्मित सीमा चिन्हों का क्रमांक

7. भूमि या उसके भाग पर भूमिस्वामी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे का विवरण (रिपोर्ट के साथ नक्शों में लाल स्याही से चिन्हित किया जाए)

| स.क्रं. | नाम | क्षेत्रफल(हेक्टेयर में/वर्गमीटर में) | ब्यौरे |
|---------|-----|--------------------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

8. सीमांकन के दौरान उठाई गई आपत्तियों के विवरण तथा उन पर विनिश्चय

| स.क्रं. | आपत्तिकर्ता का नाम | संक्षिप्त में आपत्तियां | आपत्तियों पर विनिश्चय |
|---------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|-----|-----|-----|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

9. 'पंचनामा' में हस्ताक्षर करने से इन्कार करने वाले व्यक्तियों का विवरण

| स.क्र. | नाम | इन्कार करने का कारण |
|--------|-----|---------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

10. यदि सीमांकन नहीं किया जा सका हो, तो कारण अभिलिखित किये जाएं—

11. राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक की टिप्पणियां

.....

.....

.....

तारीख.....

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक

संलग्न :

1. हेतुबद्ध पक्षकारों पर तामील किए गये नोटिस की प्रतियां
2. बिना तामील हुये नोटिस मूल में (यदि कोई हों)
3. पंचनामा
4. क्षेत्र पुस्तिका
5. नक्शा
6.

प्ररूप-तीन
(नियम 6 देखिये)
सीमांकन दल की रिपोर्ट

राजस्व प्रकरण क्रमांक.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड तहसील..... जिला.....
मध्यप्रदेश

तारीख..... सीमांकन रिपोर्ट

आपके आदेश दिनांक के अनुपालन में भूमिस्वामी पटवारी हल्का नम्बर/सेक्टर नम्बर ग्राम/नगरीय क्षेत्र में अवस्थित सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लाक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक के सीमांकन की रिपोर्ट पटवारी ने निम्नानुसार प्रस्तुत की है :

1. सीमांकन के क्रियान्वयन की तारीख.....
2. सीमांकन शुरू होने का समय सीमांकन समाप्त होने का समय.....
3. सीमांकन के नोटिस का विवरण हितबद्ध पक्षकारों को दिये

| स.क्रं. | नाम | नोटिस की तामिली का प्रकार तथा तारीख |
|---------|-----|-------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

4. पक्षकारों का विवरण जिन्हें नोटिस तामिल नहीं हो सका

| स.क्रं. | नाम | नोटिस की तामिल न होने के कारण |
|---------|-----|-------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | | |
| 2. | | |

| | | |
|----|--|--|
| 3. | | |
|----|--|--|

5. सीमांकन के दौरान वर्तमान अधिकारियों तथा पक्षकारों के नाम

| स.क्र. | नाम | पदनाम |
|--------|-----|-------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

6. संनिर्मित सीमा चिन्हों का क्रमांक

7. भूमि या उसके भाग पर भूमिस्वामी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे का विवरण (रिपोर्ट के साथ नक्शों में लाल स्याही से चिन्हित किया जाए)

| स.क्र. | नाम | क्षेत्रफल(हेक्टेयर में/वर्गमीटर में) | ब्यौरे |
|--------|-----|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

8. सीमांकन के दौरान उठाई गई आपत्तियों के विवरण तथा उन पर विनिश्चय

| स.क्र. | आपत्तिकर्ता का नाम | संक्षिप्त में आपत्तियां | आपत्तियों पर विनिश्चय |
|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

9. 'पंचनामा' में हस्ताक्षर करने से इन्कार करने वाले व्यक्तियों का विवरण

| स.कं. | नाम | इन्कार करने का कारण |
|-------|-----|---------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

10. यदि सीमांकन नहीं किया जा सका हो, तो कारण अभिलिखित किये जाएं—

11. राजस्व निरीक्षक/नगर सर्वेक्षक द्वारा पूर्व सीमांकन से भिन्नता
(तारीख).....

12. दल प्रमुख की टिप्पणियां

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

नाम.....

दल प्रमुख तथा दल के अन्य सदस्य

संलग्न :

1. हितबद्ध पक्षकारों पर तामील किए गये नोटिस की प्रतियां
2. बिना तामील हुये नोटिस मूल में (यदि कोई हों)
3. पंचनामा
4. क्षेत्र पुस्तिका
5. नक्शा
6.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर, 2018

क्रमांक एफ. 2-13/2018/सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-13/2018/सात/शा.6 दिनांक 20 सितम्बर, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, dated 20th September, 2018

No. F.- 2-13/2018/VII/Se.6

The following draft of rules of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasava Sanhita (Seemankan) Niyam, 2018, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (lxv-a) of sub-section (2) of section 258 read with section 129 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) and in supersession of this Department's notification number 187-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960, published in the Madhya Pradesh Gazette dated 22nd January, 1960, is hereby published as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above shall be considered by the Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, Vallabh, Bhawan. Mantralaya, Bhopal.

DRAFT OF RULES

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Bhu-Rajasava Sanhita (Seemankan) Niyam, 2018.
- (2) They shall come into force from the date publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.-

- (1) In these rules unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Code" means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959);
 - (b) "Form" means forms appended to these rules;
 - (c) "Schedule" means schedules appended to these rules;
 - (d) "Section" means section of the Code;
 - (e) "Team leader" means the person heading the team constituted under rule 8.

- (2) The words and expressions used in these rules but not defined and have been defined in the Code, shall have the same meaning as assigned to them in the Code.
3. The application for demarcation and construction of the boundary marks shall be made in Form I.
4. The applicant shall pay such fee for demarcation and construction of boundary marks as may be decided by the Collector from time to time, with the approval of the Commissioner Land Records:

Provided that different fees may be fixed for different districts depending on the charges required to be paid to the agencies authorised to render assistance in carrying out demarcation and construction of boundary marks in the different districts under sub-rule (1) of rule 7:

Provided further that till such agencies are authorised under sub-rule (1) of rule 7, the applicant shall pay such a fee as was fixed immediately prior to the commencement of these rules.

5. The demarcation report submitted to the Tahsildar under sub-section (2) of section 129 shall be in Form II.
6. The demarcation report submitted to the Sub-Divisional Officer under sub-section (7) of section 129 shall be in Form III.
7. (1) The Collector, under the control of Commissioner Land Records, may authorize one or more agency for the district to render assistance in carrying out demarcation and construction of boundary marks under section 129.
- (2) The Tahsildar may, in accordance with the directions issued by the Collector, from time to time, engage any one of the agencies authorised under sub-rule (1) to assist Revenue Inspector or Nagar Sarvekshak in carrying out demarcation and construction of boundary marks under sub-section (3) of Section 129.

- (3) The Sub-Divisional Officer may, in accordance with the directions issued by the Collector from time to time, engage any one of the agency authorised under sub-rule (1) to carry out demarcation and construction of boundary marks under sub-section (6) of section 129.
8. (1) The team deputed by the Sub-Divisional Officer under sub-section (6) of section 129 shall consist of following persons –
- (a) a Superintendent of Land Records or Assistant Superintendent of Land Records or Revenue Inspector or Nagar Sarvekshak as Team Leader; and
- (b) another Revenue Inspector or Nagar Sarvekshak as Member.
- (2) The Sub-Divisional Officer may, if he thinks fit, add one or more persons having expertise in land demarcation in the team constituted under sub-rule (1).
9. The dimensions and specifications of boundary marks constructed under Section 129 shall be as per Schedule-I:
- Provided that till the authorization of the agencies under sub-rule (1) of rule 7, the dimensions and specifications of boundary marks shall be the same as specified immediately prior to the commencement of these rules.
10. The Commissioner, Land Records may, from time to time issue technical instructions for carrying out demarcation and construction of boundary marks under section 129 .

SCHEDULE

[see rule 9]

Specifications of boundary marks to be constructed during demarcation under section 129

| S.No | Type of Boundary Mark | Specifications |
|------|--------------------------|--|
| 1. | Property Pin – Type 1 A | (1) Mild Steel bar with a coating of galvanized steel or two coats of bright yellow colour paint applied after a layer of primer (2) Diameter – 2.5 cm (3) Length – 90 cm (4) Top end – (a) Flattened to a diameter of 5 cm at the top and tapers to 2.5 cm at the bottom of the head (b) Following text engraved on the upper surface “Government of Madhya Pradesh, Property Pin-Type 1, Do not disturb or destroy” (5) Bottom end of the pin tapers to a sharp point (6) The pin shall be inserted vertically into the ground along the border of the survey number, block number or plot number being demarcated, as the case may be, leaving the top 10 cm of the pin visible above the ground. (7) The Bhumiswami may use his own material and labour to fix the pin to the ground by use of concrete mixture or other suitable material. |
| 2. | Property Pin – Type 1 B | (1) Mild Steel bar with a coating of galvanized steel or two coats of bright yellow colour paint applied after a layer of primer (2) Diameter – 1.5 cm (3) Length – 90 cm (4) Top end – (a) Flattened to a diameter of 5 cm at the top and tapers to 2.5 cm at the bottom of the head (b) Following text engraved on the upper surface – “ Government of Madhya Pradesh, Property Pin-Type 1, Do not disturb or dcstroy” (5) Bottom end of the pin tapers to a sharp point (6) The pin shall be inserted vertically into the ground along the border of the survey number, block number or plot number being demarcated, as the case may be, leaving the top 10 cm of the pin visible above the ground. (7) The Bhumiswami may use his own material and labour to fix the pin to the ground by use of concrete mixture or other suitable material. |
| 3. | Property Pillar Type - 2 | (1) RCC pillar or monolith stone painted bright yellow in colour. (2) 60 cm x 15 cm x 15 cm |

| | | |
|----|---------------------------|--|
| | | (3) Fixed to the ground using at least 15cms of PCC cement block with 20 cm above the ground |
| 4. | Property Pin – Type 3 | <p>(1) Mild Steel bar with a coating of galvanized steel or two coats of bright yellow colour paint applied after a layer of primer</p> <p>(2) Diameter – 1.5 cm</p> <p>(3) Length – 60 cm</p> <p>(4) Top end –</p> <p>(a) Flattened to a diameter of 4 cm at the top and tapers to 2.5 cm at the bottom of the head</p> <p>(b) Following text engraved on the upper surface “Government of Madhya Pradesh, Property Pin-Type 2, Do not disturb or destroy”</p> <p>(5) Bottom end of the pin tapers to a sharp point</p> <p>(6) The pin shall be inserted vertically into the ground along the border of the survey number, block number or plot number being demarcated, as the case may be, leaving the top 10 cm of the pin visible above the ground.</p> <p>(7) The Bhumiswami may use his own material and labour to fix the pin to the ground by use of concrete mixture or other suitable material.</p> |
| 5. | Property Pin cap – Type 1 | <p>(1) PCC block or monolith stone block</p> <p>(2) Dimensions – 15 cm x 15 cm x 20 cm</p> <p>(3) Cylindrical opening in the centre running between two opposite faces of the cap of uniform diameter of 3 cm with the cylindrical openings at 90 degrees to the face through which they open.</p> <p>(4) Top face of the cylindrical opening having a slight groove for resting of the head of the property pin</p> <p>(5) The cap shall be placed on the ground at a point where a Property Pin Type – 1 A is to be established and the pin shall be inserted into the ground through the cylindrical opening of the cap up to the surface of the property cap.</p> <p>(6) It shall not be mandatory for the use of the property pin cap.</p> |
| 6. | Property Pin cap – Type 2 | <p>(1) PCC block or monolith stone block</p> <p>(2) Dimensions – 15 cm x 15 cm x 20 cm</p> <p>(3) Cylindrical opening in the centre running between two opposite faces along the length of the cap of uniform diameter of 2 cm with the cylindrical openings at 90 degrees to the face.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>(4) Top face of the cylindrical opening having a slight groove for resting of the head of the property pin</p> <p>(5) The cap shall be placed on the ground at a point where Property Pin Type – 1 B or Property Pin –Type 3 is to be established and the pin shall be inserted into the ground through the cylindrical opening of the cap up to the surface of the property cap.</p> <p>(6) It shall not be mandatory for the use of the property pin cap.</p> |
|--|--|--|

Notes:

1. During demarcation, property pin shall be placed as boundary mark at such intervals as provided in the rules.
2. Property Type 1 or Type 2 pin shall be used at the corners of a survey number, block number or plot number being demarcated. They shall be placed at the four corners of the plot or at least at four points of the plot being demarcated.
3. Property Type 1, Type 2 or Type 3 pin shall be used in all other intermediary points of the border of the survey number where boundary marks are required to be established under these rules, block number or plot number being demarcated.
4. The applicant Bhumiswami shall decide the type of pins to be used Bhumiswami wherever more than one type has been prescribed for a particular purpose.
5. Where the fence or walls are being constructed the portion of the property pins above the ground may be increased and the pin made a part of the wall or fence.
6. Property pin caps may be used in the construction of the boundary marks on the application of the Bhumiswami for better visibility of the boundary marks constructed during the demarcation exercise.
7. The Bhumiswamis on the border of whose land the boundary marks have been created shall be responsible for the maintenance and safety of the boundary marks constructed.
8. Where a tahsildar receives knowledge from the Bhumiswami or any person that any person has removed or damaged or changed the location of a boundary mark without proper authorisation The Tahsildar may after an enquiry, as he may deem fit impose a penalty of Rs 500 per boundary mark thus removed or damaged or for which location has been changed. The tahsildar shall also cause the boundary mark to be established again and recover the cost, over and above the penalty imposed, from the person so causing the damage.
9. The Commissioner, Land Records may issue directions the intervals for certain situations.

FORM-I
[see rule 3]

**APPLICATION FOR DEMARCATION AND CONSTRUCTION
OF BOUNDARY MARKS**

To,
Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar
.....Tahsil.....
District.....M.P.

I/we....., hereby, request for demarcation and construction of the boundary marks of lands as per the particulars given below:

1. Particulars of the applicant-

| S. No | Name and Address | Name of Father/Husband/Guardian | Mobile/Phone number | Scheduled Tribe/Scheduled Caste/Other | Aadhar No/Alternate ID | Remarks |
|-------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |

2. Particulars of land to be demarcated :-

District.....Tahsil.....Revenue Inspector Circle.....
Patwari Halka/Sector No.Village/Urban Area.....

| S.No. | Survey No./Block No./Plot No. | Area (in Hect./Sq. mtr.) | Name of the holder | Details of adjoining Survey No./Block No./Plot No. |
|-------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

3. Particulars of holders of adjoining lands:-

| S. No | Survey No./Block No./Plot No. | Name of holder | Name of Father/Husband/Guardian | Full address | Mobile/Phone number |
|-------|-------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |

4. Details of fee deposited:-

| (in Rupees) | | |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| Amount in figures | Amount in words | Details of receipt |
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

Declaration

I/we.....Son of/Daughter of/Husband ofaddress
(full address with mobile No.)....., hereby,
declares that the information given by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge
and nothing has been concealed by me/us. I/we also understand that in case of incorrect
information submitted by me/us, legal action may be taken against me/us.

Date.....

Place.....

Signature

Name.....

Applicant(s)**Mandatory enclosure**

1. Copy of Khasra
2. Copy of Map of Survey No./Block No./Plot No. to be demarcated including adjoining Survey No./Block No./Plot No.
3. Copy of receipt of fee.

FORM-II
[see rule 5]

DEMARCATIION REPORT OF REVENUE INSPECTOR/NAGAR SARVEKSHAK

Revenue Case No.....

In the Court of Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar.....
Tahsil.....District.....M.P

Demarcation Report dated.....

In compliance to your order datedreport of the demarcation of Survey No./Block No./Plot No.....situated in village/urban area.....Patwari halka No./Sector No.....belonging to the BhumiswamiPatwari is submitted the following report, namely :-

1. Date of carrying out the demarcation.....
2. Start time of demarcation.....End time of demarcation.....

3. Particulars of notice of demarcation given to interested parties:-

| S.No | Name | Date and mode of service of notice |
|------|------|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

4. Particulars of parties whom notice could not be served:-

| S.No | Name | Reasons for non-service of notices |
|------|------|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

5. Names of officials and parties present during the demarcation:-

| S.No | Name | Designation |
|------|------|-------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

6. Number of boundary marks constructed.....

7. Particulars of possession of any person other than Bhumiswami over the land or part thereof (to be marked in red in the map to be attached with the report):-

| S.No | Name | Area (in hect./sq.mtr.) | Details |
|------|------|-------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | | | |
| 2. | | | |

8. Particulars of objections raised during demarcation and decisions thereon:-

| S.No | Name of objector | Objection in brief | Decision on objections |
|------|------------------|--------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | | | |
| 2. | | | |

9. Particulars of persons refusing to sign the 'Panchanama':-

| S.No | Name | Reasons for refusal |
|------|------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | | |
| 2. | | |

10. If demarcation could not be done, reasons to be recorded:-.....

11. Comments of Revenue Inspector/Nagar Sarvekshak:-.....

.....

Date.....

Place.....

Signature

Name.....

Revenue Inspector/Nagar Sarvekshak

Enclosures-

1. Copies of notices served on interested parties
2. Unserved notices in original (if any)
3. Panchanama
4. Field Book
5. Map
6.

FORM-III

[see rule 6]

REPORT OF DEMARCATION TEAM

Revenue Case No.....

In the Court of Sub-Divisional Officer, Sub-Division.....

Tahsil.....District.....M.P

Demarcation Report dated.....

In compliance to your order datedreport of the demarcation of Survey No./Block No./Plot No.....situated in village/urban area.....Patwari halka No./Sector No.....belonging to the BhumiswamiPatwari has submitted the following report, namely :-:

1. Date of carrying out the demarcation.....

2. Start time of demarcation.....End time of demarcation.....

3. Particulars of notice of demarcation given to interested parties:-

| S.No | Name | Date and mode of service of notice |
|------|------|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

4. Particulars of parties whom notice could not be served:-

| S.No | Name | Reasons for non-service of notices |
|------|------|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

5. Names of officials and parties present during the demarcation:-

| S.No | Name | Designation |
|------|------|-------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

6. Number of boundary marks constructed.....

7. Particulars of possession, of any person other than Bhumiswami over the land or part thereof (to be marked in red in the map to be attached with the report) :-

| S.No | Name | Area (in hect./sq.mtr.) | Details |
|------|------|-------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | | | |
| 2. | | | |

8. Particulars of objections raised during demarcation and decisions thereon:-

| S.No | Name of objector | Objections in brief | Decisions on objections |
|------|------------------|---------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | | | |
| 2. | | | |

9. Particulars of persons refusing to sign the 'Panchanama':-

| S.No | Name | Reasons for refusal |
|------|------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | | |
| 2. | | |

10. If demarcation could not be done, reasons to be recorded:.....

11. Difference from the previous demarcation done by the Revenue Inspector/Nagar Sarvekshak on.....(date)

12. Comments of Team Leader :-

Date.....

Signature

Place.....

Namcs.....

Team Leader and other Members of the Team

Enclosures-

1. Copies of notices served on interested parties
2. Un-served notices in original (if any)
3. Panchanama
4. Field Book
5. Map
6.

By order and the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

क्रमांक एफ. 2-14/2018/सात/शा.6

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (पैसठ-क) के साथ पठित धारा 109 तथा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुये तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2498-सात -एन-एक दिनांक 10 जून, 1965 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 2 जुलाई, 1965 को प्रकाशित की गई थी को अतिष्ठित करते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है. उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की सम्भावना है. एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने की तारीख से पंद्रह दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा।

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर सचिव, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल को प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेख में नामांतरण) नियम, 2018

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में नामांतरण) नियम, 2018 है।
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगी।
2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) 'संहिता' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);

(ख) 'प्ररूप' से अभिप्रेत है, इन नियमों से सलंगन प्ररूप।

(ग) "धारा" से अभिप्रेत है संहिता की धारा।

- (2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो इन नियमों में प्रयुक्त किए गए हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, तथा संहिता में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो संहिता में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

भाग - क

अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट तथा फीस का भुगतान

3. (1) धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा भूमि में अधिकार या हित अर्जित करने की रिपोर्ट,—
- (क) भूमिस्वामी अधिकार या हित के अर्जन की दशा में, प्ररूप—एक में;
- (ख) पट्टाधृति अधिकार या हित के अर्जन की दशा में, प्ररूप—दो में;
- (ग) अवयस्क भूमिस्वामी/ पट्टेदार की दशा में, व्यस्क होने पर प्ररूप—तीन में;
- (घ) खण्ड (क) से (ग) से भिन्न किसी अधिकार या हित के अर्जन की दशा में, प्ररूप—चार में;
- (ङ) कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि की दशा में, नामांतरण तथा विभाजन के लिए समान कार्यवाही के लिए आवेदन की दशा में, प्ररूप—पांच, में की जाएगी।
- (2) उपनियम (1) के अधीन रिपोर्ट धारा 109 की (1) उपधारा के अधीन स्पष्टीकरण तीन में विनिर्दिष्ट तरीकों में से किसी एक तरीके से या इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम से की जाएगी, जब कि ऐसा सिस्टम प्रस्तुत किया गया हो।
- (3) जहां भूमि में ऐसा अधिकार या हित किसी सर्वेक्षण संख्यांक या ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक, के भाग पर अर्जित है वहां नामांतरण पूर्व के स्केच राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर, जारी किए गए निदेशों के अनुसार तैयार किये जाएंगे तथा उप नियम (1) में रिपोर्ट के साथ सलंगन की जाएगी।
- (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाला या हितबद्ध पक्षकार भू-अभिलेखों में अधिकार के नामांतरण के लिए धारा 258 के अधीन विहित दरों पर फीस का भुगतान करेगा :

परन्तु धारा 109 या 110 या इन नियमों के अधीन किसी पक्षकार से संदत्त की जाने के लिए अपेक्षित कोई फीस या शास्ति संदत्त नहीं होती है तो वह भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल की जाएगी।

(5) उपनियम (1) में तैयार की गई रिपोर्ट की लिखित अभिस्वीकृति दी जाएगी।

4. दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से दस दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा, समय समय पर, जारी किए गए निदेशों के अनुसार तैयार किए जाने वाले नामांतरण पूर्व के स्केच के साथ धारा 109 की उपधारा (2) के अधीन प्रज्ञापना प्ररूप-छह में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तहसीलदार को भेजी जाएगी। रजिस्ट्रीकरण अधिकारीभूमि में हक या अधिकार अर्जन करने वाले व्यक्ति से नियम 3 के उपनियम (4) अधीन विहित फीस जमा करवाएगा तथा प्ररूप-छह में उसके व्यौर देगा। प्ररूप-छह में की गई रिपोर्ट की प्रति भी विलेख के पक्षकारों को दी जाएगी।
5. अधिकारोंया हित के अर्जन की प्रविष्टि के लिए धारा 110 की उपधारा (1) के अधीन संधारित किया जाने वाला रजिस्ट्रर प्ररूप-सात में होगा।
6. अधिकार अर्जन संबंधी प्रज्ञापना धारा 110 की उपधारा (2) के अधीन प्ररूप-आठ में तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी।

भाग-ख

भू-अभिलेखों के नामांतरण के मामलों का रजिस्ट्रीकरण

7. तहसीलदार, धारा 110 की उपधारा (3) के खण्ड (ख)के अधीन हितबद्ध समस्त व्यक्तियों को जिनमें निम्नलिखित व्यक्ति तथा प्राधिकारी सम्मिलित हैं,—
 - (क) उस दशा में, जब भूमि पट्टे पर या शासन द्वारा अनुज्ञप्ति पर दी गई है, संबंधित विभाग के जिला प्रमुख को या जहां कोई जिला प्रमुख नहीं है, विभाग के सचिव को;
 - (ख) उस दशा में, जहां भूमि पट्टे पर या किसी स्थानीय निकाय द्वारा अनुज्ञप्ति पर दी गई है— संबंधित स्थानीय निकाय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को;
 - (ग) उस दशा में, जहां भूमिराज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी प्राधिकारी द्वारा पट्टे पर या अनुज्ञप्ति पर दी गई है ऐसे प्राधिकारी के

जिलाप्रमुख को या जहां कोई जिला प्रमुख नहीं है वहां ऐसे प्राधिकारी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को,

नोटिस जारी करेगा।

8. (1) तहसीलदार धारा 110 की उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित होने के पश्चात् पारित किए गये आदेश तथा अद्यतन भू-अभिलेख की प्रमाणित प्रति, धारा 110 की उपधारा (5) के अधीन यथा उपबंधित निःशुल्क प्रदाय करने हेतु तारीख नियत करेगा जो तीस दिन से अधिक नहीं होगी।
 - (2) इस प्रकार निर्धारित तारीख को आदेश तथा अद्यतन खसरा की प्रमाणित प्रति तथा नक्शा दोनों पक्षकारों को परिदत्त की जाएगी। तहसीलदार, भू अधिकार पुस्तिका में आवश्यक प्रविष्टि करेगा या, यदि अपेक्षित हो, पक्षकारों को नवीन भू-अधिकार पुस्तिका जारी करेगा।
 - (3) यदि कोई पक्षकार ऐसी बांछा करे या यदि कोई पक्षकार उपनियम (2) के अधीन नियत तारीख को उपस्थित नहीं होता है तो आदेश तथा अद्यतन खसरा और नक्शों की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या ऐसी अन्य रीति में, जैसी कि राज्य सरकार निदेशित करे, पक्षकारों को भेजी जाएगी।
9. धारा 110 की उपधारा (7) के अधीन लम्बित मामलों की तिमाही रिपोर्ट आगामी तिमाही के दसवें दिन को प्ररूप -नौ में कलेक्टर को भेजी जाएगी। राज्य सरकार मॉनीटरिंग हेतु एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम स्थापित करेगी जिसमें ऐसी रिपोर्ट स्वचलित जनरेट हो जाएगी।

भाग-ग

कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि की दशा में नामांतरण तथा विभाजन के लिए समान कार्यवाहियां

10. धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि में अधिकार या हित अर्जित करने वाला पक्षकार, धारा 110 के अधीन भू-अभिलेखों में अधिकार या हित का नामांतरण तथा धारा 178 के अधीन खाते का विभाजन दोनों को करने के लिए एक समान कार्यवाही कर सकेगा।
11. यदि ऐसा आवेदन नियम 10 के अधीन किया जाता है तो तहसीलदार, धारा 110 के अधीन भू-अभिलेख में अधिकारों के नामांतरण के लिए तथा धारा 178 के अधीन खातों के विभाजन के लिए एक समान मामला दर्ज करेगा और सुनवाई

2. उन व्यक्तियों का विवरण जिन्होंने अधिकार / हित अंतरित किए हैं या वे व्यक्ति जिन्हें अन्य व्यक्तियों के उनके हित सौंपे हैं जिनमें सम्मिलित हैं किसी अन्य व्यक्तियों के पक्ष में भूमि पर उनके दावों का त्यजन करते हुए व्यक्तियों के विवरण:

| अनु. क्रमांक | नाम तथा पता | पिता/पति/ संरक्षक का नाम | लिंग | आयु | मोबाइल फोन नम्बर | अनुसूचित जनजाति/अन्य | आधार नं. / वैकल्पिक पहचान | अभ्युक्ति |
|--------------|-------------|--------------------------|------|-----|------------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |

3. भूमि तथा अधिकार/हितों का विवरण

| अनु. क्र. क. | पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक | ग्राम /नगरीय क्षेत्र का नाम | सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक/ भू-खण्ड संख्यांक | क्षेत्रफल हेक्टर/वर्ग मीटर में | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भूमिस्वामी अधिकार /हित अर्जित किए गये है | अधिकार/हित अर्जन करने वाले व्यक्तियों के नाम | अधिकार/हित अर्जन करने वाले व्यक्तियों का क्षेत्रफल/उनके हिस्से |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |

4. भूमिस्वामी अधिकारों / हितों के अर्जन का प्रकार-

| स. क. | प्रकार | अपेक्षित दस्तावेज (स्वतः सत्यापित प्रतियां संलग्न की जायें) | कृपया टिक(√) करें, यदि संलग्न हो |
|-------|--|---|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | विरासत द्वारा | 1. मृत भूमिस्वामी का मृत्यु प्रमाणपत्र या भूमिस्वामी की मृत्यु का समुचित सबूत 2. पारिवारिक वंश/उत्तराधिकारियों की सूची तथा उनके हिस्से | |
| 2 | क्रेता द्वारा | रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख | |
| 3 | वसीयत द्वारा | वसीयत | |
| 4 | दान द्वारा | रजिस्ट्रीकृत दान विलेख | |
| 5 | न्यायालय की डिक्री द्वारा | न्यायालय की डिक्री | |
| 6 | भूमि अर्जन द्वारा | पारित किया गया अवार्ड | |
| 7 | भूमि आवंटन द्वारा | भूमि आवंटन का आदेश | |
| 8 | पट्टाधृति को फ्री होल्ड अधिकार में परिवर्तन द्वारा | फ्री होल्ड अधिकारों को सौंपने के लिए अवार्ड | |
| 9 | भूमि के विनिमय द्वारा | भूमि विनिमय का रजिस्ट्रीकृत विलेख | |
| 10 | भूमि में दावों के त्यजन द्वारा | निर्मुक्त विलेख | |
| 11 | किसी अन्य प्रकार द्वारा (जो उपरोक्त वर्णित नहीं है) | समनुदेशित किए गए / निर्वापित /उपांतरित /अधिकार सृजन किए गए दस्तावेजों की प्रति/रजिस्ट्रीकृत विलेख | |

5. फीस के ब्यौरे

| फीस अंकों में | फीस शब्दों में | जमा की गई फीस की पावती के ब्यौरे |
|---------------|----------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

घोषणा

1. मैं / हम पुत्र / पुत्री / पत्नी पता (पूर्ण पता)
 मोबाइल नम्बर एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/हैं कि मेरे /हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे /हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात गलत नहीं की गई है। मैं / हम यह भी समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।
2. मैं / हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण किया जाए।

तारीख हस्ताक्षर
 स्थान नाम

(रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)

आवश्यक संलग्नक :-

- (1) खसरा की प्रति
- (2) नामांतरणपूर्व का स्केच की प्रति (जो भी लागू हो)
- (3) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों के पते का सबूत की प्रति
- (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों की पहचान का सबूत की प्रति
- (5) यदि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति अधिकार या हित अर्जन करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के पते का सबूत तथा उसकी पहचान स्थापित करने के सबूत के साथ अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) विधिक व्यक्ति की दशा में-
 - (1) विधिक व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज जैसे पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर, कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया सी.आइ.एन. नम्बर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज, लोक न्यास आदि द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या बैंक खाता पासबुक आदि; और
 - (2) ऐसे विधिक व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र।
- (7) उपरोक्त रिपोर्ट केपेरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज
- (8) फीस पावती की प्रति

टिप्पणी :- (1) दस्तावेजों की स्वतः सत्यापित प्रतियां इस प्ररूप के साथ संलग्न की जाएं।

(2) पहचान का सबूत— आधार नम्बर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की पास बुक या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई पहचान फोटो

भाग— दो
अभिस्वीकृति

प्रति,

श्री / श्रीमती / कु

पुत्र / पुत्री / पत्नी

पता

उपरोक्त भाग-1 में दिए गए अधिकार /हित के अर्जन की रिपोर्ट एतद्वारा अभिस्वीकृति है।

तारीख:

मुद्रा

नाम

स्थान:

तहसीलदार / अपर तहसीलदार

नायब तहसीलदार

तहसील

जिला

2. उन व्यक्तियों का विवरण जिन्होंने अधिकार/हित अंतरित किए हैं या वे व्यक्ति जिन्हें अन्य व्यक्तियों के उनके हित सौंपे हैं जिनमें सम्मिलित है किसी अन्य व्यक्तियों के पक्ष में भूमि पर उनके दावों का त्यजन करते हुए व्यक्तियों के विवरण:

| अनु. क्रमांक | नाम तथा पता | पिता/पति/संरक्षक का नाम | लिंग | आयु | मोबाइल फोन नम्बर | अनुसूचित जनजाति/अन्य | आधार नं./वैकल्पिक पहचान | अभ्युक्ति |
|--------------|-------------|-------------------------|------|-----|------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |

3 भूमि तथा अधिकार/हितों का विवरण

| अन. क्रमांक | पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक | ग्राम/नगरी/य क्षेत्र का नाम | सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक | क्षेत्रफल हेक्टर/वर्ग मीटर में | भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भूमिस्वामी अधिकार/हित अर्जित किए गये हैं | अधिकार/हित अर्जन करने वाले व्यक्तियों के नाम | अधिकार/हित अर्जन करने वाले व्यक्तियों का क्षेत्रफल/उनके हिस्से |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |

4 पट्टाधृति अधिकारों / हितों के अर्जन का प्रकार—

| अनु.क्रमांक | प्रकार | अपेक्षित दस्तावेज (स्वतः सत्यापित प्रतियां संलग्न की जायें) | कृपया टिक(√) करें, यदि संलग्न हो |
|-------------|--|---|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | विरासत द्वारा | 3. मृत भूमिस्वामी का मृत्यु प्रमाणपत्र या भूमिस्वामी की मृत्यु का समुचित सबूत 4. पारिवारिक वंश/उत्तराधिकारियों की सूची तथा उनके हिस्से | |
| 2. | क्रेता द्वारा | रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख | |
| 3. | वसीयत द्वारा | वसीयत | |
| 4. | दान द्वारा | रजिस्ट्रीकृत दान विलेख | |
| 5. | न्यायालय की डिक्री द्वारा | न्यायालय की डिक्री | |
| 6. | भूमि आवंटन द्वारा | भूमि आवंटन का आदेश | |
| 7. | भूमि के विनिमय द्वारा | भूमि विनिमय का रजिस्ट्रीकृत विलेख | |
| 8. | भूमि में दावों के त्यजन द्वारा | निर्मुक्त विलेख | |
| 9. | किसी अन्य प्रकार द्वारा (जो उपरोक्त वर्णित नहीं है). | समनुदेशित किए गये / निर्वापित / उपांतरित / अधिकार सृजन किए गये दस्तावेजों की प्रति / रजिस्ट्रीकृत विलेख | |

5. फीस के ब्यौरे

| फीस अंकों में | फीस शब्दों में | जमा की गई फीस की पावती के ब्यौरे |
|---------------|----------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

घोषणा

1. मैं / हम पुत्र / पुत्री / पत्नी पता (पूर्ण पता)
 मोबाइल नम्बर
 एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/हैं कि मेरे /हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे /हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात गलत नहीं की गई है। मैं / हम यह भी समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।
2. मैं / हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में मेरे /हमारे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण किया जाए।

तारीख

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

(रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)

आवश्यक संलग्नक :-

- (1) खसरा की प्रति
- (2) नामांतरण पूर्व का स्केच की प्रति (जो भी लागू हो)
- (3) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों के पते का सबूत की प्रति
- (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों की पहचान का सबूत की प्रति
- (5) यदि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति अधिकार या हित अर्जन करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के पते का सबूत तथा उसकी पहचान स्थापित करने के सबूत के साथ अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) विधिक व्यक्ति की दशा में-
 - (1) विधिक व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज जैसे पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर, कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया सी.आइ.एन. नम्बर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज, लोक न्यास आदि द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या बैंक खाता पासबुक आदि; और
 - (2) ऐसे विधिक व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र।
- (7) उपरोक्त रिपोर्ट के पेरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेज

(8) फीस पावती की प्रति

- टिप्पणी :- (1) दस्तावेजों की स्वतः सत्यापित प्रतियां इस प्ररूप के साथ संलग्न की जाएं।
- (2) पहचान का सबूत-आधार नम्बर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की पास बुक या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई पहचान फोटो

भाग- दो
अभिस्वीकृति

प्रति,

श्री/श्रीमती/कु

पुत्र/पुत्री/पत्नी

पता

उपरोक्त भाग-1 में दिए गए अधिकार /हित के अर्जन की रिपोर्ट एतद्वारा
अभिस्वीकृति है।

तारीख
स्थान

मुद्रा

नाम

तहसीलदार/ अपर तहसीलदार

नायब तहसीलदार

तहसील.....

जिला

2. भूमि का विवरण

| अनु. क्रमांक | पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक | ग्राम /नगरीय क्षेत्र का नाम | सर्वेक्षण संख्यांक/ ब्लॉक संख्यांक/ भू-खण्ड संख्यांक | क्षेत्रफल हेक्टर/वर्ग मीटर में |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

3. फीस के ब्यौरे

| फीस अंकों में | फीस शब्दों में | जमा की गई फीस की पावती के ब्यौरे |
|---------------|----------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

घोषणा

1. मैं / हम पुत्र / पुत्री / पत्नी पता (पूर्ण पता)
 मोबाइल नम्बर
 एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/ हैं कि मेरे /हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे /हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात गलत नहीं की गई है। मैं / हम यह भी समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।
2. मैं / हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन मे मेरे /हमारे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण किया जाए।

तारीख

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

(रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)

आवश्यक संलग्नक :-

- (1) खसरा की प्रति
- (2) व्यस्यकता होने वाले व्यक्तियों के पते का सबूत
- (3) व्यस्यक होने वाले व्यक्तियों की पहचान का सबूत
- (4) यदि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति व्यस्यक होने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के पते का सबूत तथा उसकी पहचान के सबूत के साथ व्यस्यक होने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (5) जन्म तिथि का सबूत
- (6) फीस पावती की प्रति

टिप्पणी :- (1) दस्तावेजों की स्वतः सत्यापित प्रतियां इस प्ररूप के साथ संलग्न की जाएं।

- (2) पहचान का सबूत- आधार नम्बर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति, किसी राष्ट्रीकृत बैंक की पास बुक या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई पहचान फोटो

भाग-दो
अभिस्वीकृति

प्रति,

श्री/श्रीमती/कु

पुत्र/पुत्री/पत्नी

पता

उपरोक्त पेरा-1 में दिए गए नामांतरण की प्रज्ञापना एतद्वारा अभिस्वीकृति है।

तारीख:

मुद्रा

नाम

स्थान:

तहसीलदार/ अपर तहसीलदार

नायब तहसीलदार

तहसील.....

जिला

4. अधिकारों / हितों के अर्जन का प्रकार—

| अनु. क्रमांक | प्रकार | अपेक्षित दस्तावेज (स्वतः राल्यापित प्रतियां संलग्न की जायें) | कृपया टिक(√) करें, यदि संलग्न हो |
|--------------|---|---|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | विरासत द्वारा | 1. मृत भूमिस्वामी का मृत्यु प्रमाणपत्र या भूमिस्वामी की मृत्यु का समुचित सबूत 2. पारिवारिक वंश/उत्तराधिकारियों की सूची तथा उनके शेयर (अंश) | |
| 2 | क्रेता द्वारा | रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख | |
| 3 | वसीयत द्वारा | वसीयत | |
| 4 | दान द्वारा | रजिस्ट्रीकृत दान विलेख | |
| 5 | न्यायालय की डिक्री द्वारा | न्यायालय की डिक्री | |
| 6 | भूमि आवंटन द्वारा | भूमि आवंटन का आदेश | |
| 7 | भूमि में दावों के त्यजन द्वारा | निर्मुक्त विलेख | |
| 8 | किसी अन्य प्रकार द्वारा (जो उपरोक्त वर्णित नहीं है) | समनुदेशित किए गए / निर्वापित / उपांतरित / अधिकार सृजन किए गए दस्तावेजों की प्रति/रजिस्ट्रीकृत विलेख | |

5. जमा की गई फीस के ब्यौरे

| अंकों में रकम | शब्दों में रकम | जमा की गई फीस की पावती के ब्यौरे |
|---------------|----------------|----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

घोषणा

1. मैं / हम पुत्र / पुत्री / पत्नी पता (पूर्ण पता)
 मोबाइल नम्बर
 एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/हैं कि मेरे /हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे /हमारे ज्ञान और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात गलत नहीं की गई है। मैं / हम यह भी समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकेगी।
2. मैं / हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि इस आवेदन में मेरे /हमारे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण किया जाए।

तारीख

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

(रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति)

आवश्यक संलग्नक :-

- (1) खसरा की प्रति
- (2) नामांतरण पूर्व का स्केच की प्रति (जो भी लागू हो)
- (3) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों के पते का सबूत की प्रति
- (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों की पहचान का सबूत की प्रति
- (5) यदि रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति अधिकार या हित अर्जन करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, तो रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के पते का सबूत तथा उसकी पहचान करने के सबूत के साथ अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (6) विधिक व्यक्ति की दशा में-
 - (1) विधिक व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज जैसे पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर, कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया सी. आइ. एन. नम्बर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसाइटीज, लोक न्यास आदि द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या बैंक खाता पासबुक आदि; और
 - (2) ऐसे विधिक व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया प्राधिकार पत्र।
- (7) उपरोक्त रिपोर्ट के पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रति
- (8) फीस पावती की प्रति

- टिप्पणी :- (1) दस्तावेजों की स्वतः सत्यापित प्रतियां इस प्ररूप के साथ संलग्न की जाएं।
- (2) पहचान का सबूत—आधार नम्बर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति, किसी राष्ट्रीकृत बैंक की पास बुक या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई पहचान फोटो

भाग—दो
अभिस्वीकृति

प्रति,

श्री/श्रीमती/कु

पुत्र/पुत्री/पत्नी

पता

उपरोक्त भाग—1 में दिए गए अधिकार /हित के अर्जन की रिपोर्ट एतद्वारा अभिस्वीकृति है।

तारीख:

मुद्रा

नाम

स्थान:

तहसीलदार/ अपर तहसीलदार

नायब तहसीलदार

तहसील.....

जिला

प्ररूप-पांच

(नियम 3 देखिए)

कृषि के प्रयोजन के लिए निर्धारित भूमि की दशा में खाते का नामांतरण तथा विभाजन के लिए समान कार्यवाही करने हेतु आवेदन

प्रति,

तहसीलदार / अतिरिक्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार

तहसील.....

जिला..... म.प्र.

भाग-एक-

मैं / हम(नाम)एतद्वारा, भूमि में भूमिस्वामी अधिकार या हित के अर्जन का आवेदन कर रहा हूँ/रहे हैं तथा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 178 के अधीन खाते के विभाजन का अनुरोध करता हूँ/करते हैं।

1. अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों कि विवरण

| अनु. क्रमांक | नाम तथा पता | पिता/पति/संरक्षक का नाम | लिंग | आयु | मोबाइल फोन नम्बर |
|--------------|-------------|-------------------------|------|-----|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |

| अनुसूचित जनजाति/अन्य | आधार नम्बर/वैकल्पिक पहचान | अभ्युक्ति |
|----------------------|---------------------------|-----------|
| (7) | (8) | (9) |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

2. उन व्यक्तियों का विवरण जिन्होंने अधिकार/हित अंतरित किए हैं या उन व्यक्तियों को जिन्हें अन्य व्यक्तियों के उनके अधिकार सौंपे हैं जिनमें सम्मिलित है किसी अन्य व्यक्तियों के पक्ष में उनके दावों त्यजन किया है।

| अनु. क्रमांक | नाम तथा पता | पिता/पति/संरक्षक का नाम | लिंग | आयु | मोबाइल फोन नम्बर |
|--------------|-------------|-------------------------|------|-----|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |

| अनुसूचित जनजाति/अन्य | आधार नम्बर/वैकल्पिक पहचान | अभ्युक्ति |
|----------------------|---------------------------|-----------|
| (7) | (8) | (9) |
| | | |
| | | |

3. भूमि का विवरण

| अनु. क्रमांक | पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक | ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम | सर्वेक्षण/ब्लाकसंख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक | क्षेत्रफल हेक्टर में/वर्गमीटर में |
|--------------|-------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

| | | |
|---|--|--|
| भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त /अंतरित किए गए हैं | उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें अधिकार अर्जित हैं | अधिकार अर्जन व्यक्तियों के क्षेत्रफल/उनके हिस्से |
| (6) | (7) | (8) |
| | | |
| | | |

4. भूमिस्वामी अधिकारों के अर्जन की रीति

| अनु. क्रमांक | रीति | अपेक्षित दस्तावेज (स्वतः सत्यापित प्रतियां संलग्न की जाए) | चिन्ह (√) करे यदि संलग्न हो |
|--------------|---|---|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | विरासत द्वारा | 1. मृत भूमिस्वामी का मृत्यु प्रमाणपत्र या भूमिस्वामी की मृत्यु का समुचित सबूत 2. पारिवारिक वंश/उत्तराधिकारियों की सूची तथा उनके हिस्से | |
| 2. | क्रय द्वारा | रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख | |
| 3. | वसीयत द्वारा | वसीयत | |
| 4. | दान द्वारा | रजिस्ट्रीकृत दान विलेख | |
| 5. | न्यायालय कुर्की द्वारा | न्यायालय की कुर्की | |
| 6. | भूमि आवंटन द्वारा | अवार्ड | |
| 7. | भूमि का विनिमय द्वारा | भूमि आवंटन का आदेश | |
| 8. | भूमि में दावे का त्यजन द्वारा | निर्मुक्त विलेख | |
| 9. | कोई अन्य रीति द्वारा (जो ऊपर वर्णित नहीं) | अधिकार सौंपे जाने/ निर्वापित करने/उपांतरण /सृजित किए जाने के दस्तावेज की प्रति/रजिस्ट्रीकृत | |

Formatted: Centered, Space After: 0 pt, Line spacing: single
Formatted Table

| | | |
|------|-------|--|
| हैं) | विलेख | |
|------|-------|--|

5. कृषि प्रयोजन के लिए निर्धारित खाते के विभाजन का विवरण

| अनु. क्रमांक | खाता क्रमांक | सर्वेक्षण संख्यांक | क्षेत्रफल हेक्टर में | भूमिस्वामी का नाम | प्रत्येक भूमिस्वामी का अंश |
|--------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |

6. जमा की गई फीस के ब्यौरे

| रकम अंकों में | रकम शब्दों में | जमा की गई फीस की पावती के ब्यौरे |
|---------------|----------------|----------------------------------|
| | | |

घोषणा

- मैं / हम पुत्र / पुत्री / पत्नी (पूर्ण पता)
..... मोबाइल नम्बर एतद्वारा
घोषणा करता/करती हूँ/हैं कि मेरे /हमारे द्वारा दी गई जानकारी मेरे ज्ञान
और विश्वास से सत्य एवं सही है तथा मेरे / हमारे द्वारा कोई भी बात गलत
नहीं की गई है। मैं / हम यह भी समझते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की
गई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरे / हमारे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की
जा सकेगी।
- मैं / हम अनुरोध करता हूँ /करते हैं कि भू-अभिलेखों में नामांतरण तथा कृषि
के प्रयोजन के लिए खाते का विभाजन इस आवेदन में मेरे/हमारे द्वारा दी गई
जानकारी के अनुसार किया जाए।

तारीख

स्थान

हस्ताक्षर

आवेदक

आवश्यक संलग्नक :-

- (1) खसरा की प्रति
- (2) नामांतरण पूर्व के स्केच की प्रति (जो भी लागू हो)
- (3) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों के पते का सबूत की प्रति
- (4) अधिकार या हित अर्जित करने वाले व्यक्तियों की पहचान का सबूत की प्रति
- (5) यदि आवेदक अधिकार या हित अर्जन करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है तो वह आवेदक के पते का सबूत तथा उसकी पहचान सबूत के साथ अधिकार या हित अर्जन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाए।

(6) विधिक व्यक्ति की दशा में-

- (1) विधिक व्यक्ति की पहचान स्थापित करने वाला दस्तावेज जैसे पेन कार्ड, जी. एस. टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर, कतनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया सी. आइ. एन. नम्बर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी जैसे रजिस्ट्रार फर्म एन्ड सोसाइटी लोक न्यास आदि द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण (पंजीयन) प्रमाणपत्र या बैंक खाता पासबुक आदि; और

- (2) सक्षम निकाय या व्यक्ति द्वारा जारी किया गया ऐसे विधिक व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकरण का पत्र।

(7) उपरोक्त रिपोर्ट के पेरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रति

(8) फीस पावती की प्रति

(9) सह-हिस्सेदारों द्वारा सहमत तथा हस्ताक्षरित भद्र बटवारा (अविवादित मामलों में)

टिप्पणी :- (1) दस्तावेजों की स्वतः सत्यापित प्रतियां इस प्ररूप के साथ संलग्न करें।

- (2) पहचान के सबूत- आधार नम्बर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, वाहन चलाने की अनुज्ञप्ति, किसी राष्ट्रीकृत बैंक की पास बुक की स्वतः सत्यापित प्रति या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी या प्रमाणित कोई पहचान फोटो

भाग- दो
अभिस्वीकृति

प्रति,

श्री / श्रीमती / कु

पुत्र / पुत्री / पत्नी

पता

उपरोक्त भाग-1-क तथा भाग-1-ख में दिए गए भू-अभिलेख में कृषि प्रयोजन के लिए खाते के विभाजन द्वारा अनुसूचित भूमिस्वामी अधिकार अर्जन के नामांतरण के लिए प्रज्ञापना एतद्वारा अभिस्वीकृति है।

तारीख:

मुद्रा

नाम

स्थान:

तहसीलदार / अपर तहसीलदार

नायब तहसीलदार

तहसील.....

जिला

प्ररूप-छह

(नियम 4 देखिये)

..... से तक की अवधि में तहसील जिले में भूमि से संबंधित संव्यवहारों का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का विवरण

| पंजीयन का स. क्रं. | ग्राम/नगरीय क्षेत्र का नाम जिसमें भूमि अवस्थित है | पटवारी हल्का नम्बर/ सेक्टर नम्बर | दस्तावेजों का प्रकार | संव्यवहारों से संबंधित सर्वेक्षण संख्यांक या ब्लाक संख्यांक या भू-खण्ड संख्यांक | संव्यवहारों से संबंधित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में/वर्गमीटर में) |
|--------------------|---|----------------------------------|----------------------|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |

| दस्तावेज के निष्पादक का नाम, पता तथा मोबाइल फोन नम्बर | उस व्यक्ति का नाम, पता तथा मोबाइल फोन नम्बर जिसके पक्ष में दस्तावेज निष्पादित किया है | दस्तावेज के निष्पादन की तारीख | भू-अभिलेख में नामांतरण के लिए भुगतान की गई फीस के ब्यौरे | अभ्युक्ति |
|---|---|-------------------------------|--|-----------|
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | | | |

स्थान

हरताक्षर

तारीख

मुद्रा

उप रजिस्ट्रार

जिला

प्ररूप-सात

(नियम 5 देखिये)

अधिकार या हित अर्जन की रजिस्ट्रार की रिपोर्ट

ग्राम/नगरीय क्षेत्रपटवारी हल्का नम्बर/सेक्टर नम्बर

तहसीलजिला

| अनु. क्रमांक | धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की पावती की तारीख | रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम, पता तथा मोबाइल फोन नम्बर | अधिकार/ हित अर्जन करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता/पति/संरक्षक का नाम, पता तथा मोबाइल फोन नम्बर | भूमि का विवरण जिस पर अधिकार / हित अर्जित / त्यजित किये गये है |
|-----------------|--|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

| भूमि में अधिकार/हित में परिवर्तन का प्रकार | प्ररूप-एक, दो, तीन, चार या पांच (जो भी हो) | तारीख जिस पर तहसीलदार को प्रज्ञापना भेजी है | अभ्युक्ति |
|--|--|---|-----------|
| (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | |

प्ररूप-आठ

(नियम 6 देखिये)

धारा 110 की उपधारा (2) के अधीन तहसीलदार को पटवारी की रिपोर्ट

प्रति,

तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तहसील

जिलामध्यप्रदेश

विषय :- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 की उपधारा (2) के अधीन प्रज्ञापना भू-अभिलेखों में नामांतरण के लिए भूमि में अधिकारों / हितों के अर्जन की प्रज्ञापना

यह सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन भूमि में अधिकारों और हितों के अर्जन से संबंधित से तक अवधि के दौरान निम्नलिखित रिपोर्ट मुझे की गई है

| अनु. क्रमांक | धारा 109 की उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की पावती की तारीख | रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता/पति/संरक्षक का नाम, पता तथा मोबाइल फोन नम्बर | अधिकार/ हित अर्जन करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता/पति/संरक्षक का नाम, पता तथा मोबाइल फोन नम्बर | भूमि का विवरण जिस पर अधिकार / हित अर्जित / त्यजित किये गये हैं (तहसील, पटवारी हल्का नम्बर/नगरीय क्षेत्र/ग्राम /सेक्टर नम्बर/सर्वेक्षण संख्यांक/भू-खण्ड संख्यांक) |
|--------------|--|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |

| भूमि में अधिकार/हित में परिवर्तन का प्रकार | प्ररूप—एक, दो, तीन, चार या पांच (जो भी हो) | अभ्युक्ति |
|--|--|-----------|
| (6) | (7) | (9) |
| | | |

आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गये प्ररूपों तथा संलग्नकों को इसके साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित है

तारीख.....

नाम तथा हस्ताक्षर.....

स्थान

पदाभिदान.....

पटवारी हल्का नम्बर तथा नाम

.....

संलग्नकों की सूची

1.

2.

प्ररूप-नौ

(नियम 10 देखिये)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट
नामांतरण मामलों की तिमाही रिपोर्ट

..... (तारीख) को स्थिति

न्यायालय का नामतहसील.....जिला

भाग-क: दो माह (अविवादित मामलों के लिए तथा छह माह (विवादित मामलों के लिए)
से अधिक लम्बित नामांतरण मामलों की संक्षिप्त रिपोर्ट

| स. क्र. | नामांतरण मामलों का प्रकार | 2 माह/6 माह से अधिक कुल लम्बित मामलों (जो भी लागू हो) | 2 माह/6 माह से अधिक लम्बित मामलों की संख्या (जो भी लागू हो) | | | | |
|---------|---------------------------|---|---|---------|-----------------|----------|----------------|
| | | | 1-2 माह | 3-6 माह | 6 माह से 1 वर्ष | 1-2 वर्ष | 2 वर्ष से अधिक |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | अविवादित | | | | | | |
| 2. | विवादित | | | | | | |

भाग-ख : 2 माह से अधिक लम्बित अविवादित नामांतरण के मामलों की सूची

| स.क्र. | मामला क्र. | मामला संस्थित होने की तारीख | पक्षकारों के नाम | मामलों की वर्तमान स्थिति | मामलों के लम्बित रहने की अवधि (वर्ष तथा माह में) | लम्बित रहने का कारण |
|--------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |

भाग-ख : 6 माह से अधिक लम्बित अविवादित नामांतरण के मामलों की सूची

| स.क्र. | मामला क्र. | मामला संस्थित होने की तारीख | पक्षकारों के नाम | मामलें की वर्तमान स्थिति | मामलें के लम्बित रहने की अवधि (वर्ष तथा माह में) | लम्बित रहने का कारण |
|--------|------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |

तारीख.....

पीठासीन अधिकारी का नाम

.....

स्थान

मुद्रा

हस्ताक्षर.....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ. 2-14/2018/सात/शा.6- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ. 2-14/2018/सात/शा.6 दिनांक 20 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, dated 20th September, 2018

No. F.- 2-14/2018/VII/Se.6

The following draft rules of the Madhya Pradesh Bhu-Rajaswa Sanhita (Bhu-Abhilekhon Men Namantaran) Niyam, 2018, which the State Government makes to propose, in exercise of the powers conferred by clause (lxv-a) of sub-section (2) of section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) read with section 109 and section 110 of the said Code and in supersession of Part IV- mutation in Khasra along with Form- E, Form-F and Form-G of this Department's Notification Number 2498-VII-N-1 dated 10th June 1965, published in the Madhya Pradesh Rajpatra, dated 2nd July, 1965, is hereby published as required by sub-section (3) of section 258 of the said Code for the information of all such persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above shall be considered by the Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department, Vallabh, Bhawan, Mantralaya, Bhopal.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called The Madhya Pradesh Bhu-Rajaswa Sanhita (Bhu-Abhilekhon Men Namantaran) Niyam, 2018.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
2. (1) In these rules unless the context otherwise requires,-
 - (a) 'Code' means Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959);

- (b) 'Form' means a Form appended to these rules;
 - (c) "Section" means section of the code.
- (2) The words and expressions used in these rules but not defined in these rules and defined in the Code, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Code.

Part-A

Report of Acquisition of Rights and Payment of Fee

3. (1) Report of a right or interest acquired in land by a person under sub-section (1) of Section 109 shall be made in,—
- (a) **Form I**, in case of acquisition of Bhumiswami right or interest;
 - (b) **Form II**, in case of acquisition of leasehold right or interest;
 - (c) **Form III**, in case of a minor Bhumiswami/lessee on attaining majority;
 - (d) **Form IV**, in case of acquisition of any right or interest other than (a) to (c); and
 - (e) **Form V**, in case of application for common proceeding for mutation and partition in case of land assessed for the purpose of agriculture.
- (2) The report under sub-rule (1) may be made by any one of the means specified in the Explanation III under sub-section (1) of section 109 or by an electronic reporting system when it shall be introduced .
- (3) Where such right or interest in land is acquired on a part of a survey number or block number or plot number a pre-mutation sketch shall be prepared in accordance with the directions issued by the State Government from time to time and attached with the report in sub-rule (1).

- (4) The party acquiring a right or an interest shall pay fees for the mutation of right in land records at the rates prescribed by rules made under section 258 :

Provided that any fee or penalty required to be paid from a party under section 109 or 110 or these rules and if not paid shall be recoverable as arrears of land revenue.

- (5) A written acknowledgement of the report made in sub-rule (1) shall be given.
4. The intimation under sub-section (2) of section 109 shall be sent by the Registering Officer to the Tahsildar in **Form VI** along with a pre-mutation sketch to be prepared in accordance with the directions issued by the State Government from time to time within a period of ten days of registration of a document. The Registering Officer shall cause the fee prescribed under sub-rule (4) of rule 3 deposited from the person acquiring a title or interest in land and give the details thereof in **Form VI**. Copy of the report made in **Form VI** shall also be given to the parties to the deed.
5. The register to be maintained under sub-section (1) of section 110 for entering acquisition of rights or interests shall be in **Form VII**.
6. The intimation regarding acquisition of right shall be submitted to the Tahsildar under sub-section (2) of section 110 in **Form VIII**.

Part-B

Registration of a case for mutation of land records

7. The Tahsildar shall issue notice under clause (b) of sub-section (3) of section 110 to all persons interested including the following persons and authorities -

- (a) in case the land has been given on lease or on license by the Government to the district head of the concerned department or where there is no such district head, then to the Secretary of the Department;
 - (b) in case the land has been given on lease or on license by any Local Body, to the Chief Executive Officer of the concerned Local Body;
 - (c) in case the land has been given on lease or on license by an authority established or controlled by the State Government to the District Head of such authority or where there is no such district head to the Chief Executive Officer of such authority.
8. (1) The Tahsildar shall fix a date not later than thirty days after the date of passing order under sub-section (4) of section 110 for the delivery of certified copy of the order and updated land records free of cost as provided under sub-section (5) of section 110.
- (2) On the date so fixed certified copies of the order and updated Khasara and maps shall be delivered to both the parties. The Tahsildar shall make necessary entries in the Bhu-Adhikar Pustika or, if required, issue new Bhu-Adhikar Pustika to the parties.
- (3) If any party so desires or if any party does not appear on the date fixed under sub-rule (2) the certified copies of the order and updated Khasara and map shall be sent to the party by registered post or by such other means as may be directed by the State Government.
9. Quarterly report of pending cases under sub-section (7) of section 110 shall be sent to the Collector in **Form IX** by the tenth day of the next quarter. The State Government may set up an electronic system for monitoring to generate such reports automatically.

Part-C**Common Proceedings for Mutation and Partition in Case of Land Assessed for the Purpose of Agriculture**

10. A party acquiring a right or interest in land assessed for the purpose of agriculture under section 59 may apply for effecting both the mutation of a right or interest in the land records under section 110 and partition of holding under section 178 in a common proceeding.
11. If an application is made under rule 10, the Tahsildar shall register a common case for mutation of rights in land records under section 110 and partition of holding under section 178 and proceed to hear and pass a common order in accordance with the provisions of the relevant sections.

FORM-I
(See Rule 3)

REPORT OF ACQUISITION OF BHUMISWAMI RIGHT OR INTEREST

To,
Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar
.....Tahsil.....
District.....M.P

PART-I

I/We,(Name),.....hereby report the acquisition of Bhumiswami right or interest in land and request for mutation in land records under section 110 of the Code.

1. Particulars of persons acquiring rights or interests:-

| S. No. | Name and address | Name of Father/ Husband / Guardian | Gender | Age | Mobile phone number | Scheduled Tribe/ Other | Aadhar No/ Alternate ID | Remarks |
|--------|------------------|------------------------------------|--------|-----|---------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |

2. Particulars of persons whose rights/interests are transferred or persons assigning their interest to other persons including particulars of persons renouncing their claims on land in favour of any other persons:-

| S. No. | Name and address | Name of Father/ Husband / Guardian | Gender | Age | Mobile phone number | Scheduled Tribe/ Other | Aadhar No/ Alternate ID | Remarks |
|--------|------------------|------------------------------------|--------|-----|---------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |

3. Particulars of land and rights/interests:-

| S. No. | Patwari halka No/Sector No. | Name of Village/ Urban Area | Survey No./ Block No./ Plot No. | Area in hect. /sq.mtr. | Area of land over which Bhumiswami rights/interests have been acquired | Names of persons acquiring rights/ interests | Area/share of the persons acquiring rights/ interests |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |

4. Mode of acquisition of Bhumiswami rights/ interests:-

| S.No. | Mode | Required Document (Self attested copies to be attached) | Please tick (√) if the document is attached |
|-------|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | By inheritance | 1. Death Certificate or suitable proof of death of the deceased Bhumiswami or suitable proof 2. Family tree/List of successors and their shares | |
| 2. | By purchase | Registered sale deed | |
| 3. | By will | Will | |
| 4. | By gift | Registered Gift deed | |
| 5. | By decree of Court | Decree of the court | |
| 6. | By land acquisition | Award passed | |
| 7. | By land allotment | Order of the land allotment | |
| 8. | By conversion of lease hold to free hold right | Award for assignment of freehold rights | |
| 9. | By exchange of land | Registered deed of exchange land | |
| 10. | By renouncing claims in land | Release deed | |
| 11. | By any other mode (not mentioned above) | Copy/Registered deed of the document assigning/ extinguishing/modifying/creating rights | |

5. Details of fee deposited:-

| Amount in figures | | Amount in words | | (in Rupees) |
|-------------------|-----|-----------------|-----|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | Details of the receipt of the fee deposited |
| | | | | (3) |

DECLARATION

1. I/we.....Son of/Daughter of/Wife of address (full mailing address)....., Mobile No.....hereby, declare (s) that the information given by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed by me/us. I/we also understand that in case of incorrect information submitted by me/us, legal action may be taken against me/us.

2. I/we request that mutation in land records be made as per the information provided by me/us in this application.

Date.....

Place.....

Signature

Name

(Person making report)

Mandatory Enclosures:-

- (1) Copy of khasra
- (2) Copy of pre mutation sketch (where applicable)
- (3) Copy of proof of address of persons acquiring rights or interests
- (4) Copy of proof of identity of persons acquiring rights or interests
- (5) If person making report is other than the person acquiring right or interest, a letter of authority signed by the person acquiring right or interest along with proof of address and proof of identity of the person making report shall be furnished
- (6) In case of juristic person-
 - (1) a document establishing the identity of the juristic person such as PAN card, GST Registration Number, CIN number issued by the Registrar of Companies, Registration Certificate by the Registering Authority such as Registrar of Firms and Societies, Public Trusts etc. or Bank Account Pass Book etc. ; and
 - (2) a letter of authorization to act on behalf of such juristic person issued by competent body or person shall be attached.
- (7) Copy of the documents specified in para 4 of the report above.
- (8) Copy of receipt of fee.

Notes: (1) Self attested copies of the documents shall be attached with this Form.

(2) Proof of identity may be self attested copy of Aadhar Number, Voter ID, Passport, Driving License, Pass Book of any Nationalized Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

**PART-II
ACKNOWLEDGMENT**

To,

Shri/Smt./Ku.....
Son/Daughter/Wife of.....
Address.....

The report of acquisition of right/interest given in Part-I above is hereby acknowledged.

Date.....
Place.....

Seal

(Name).....
Tahsildar/Addl.Tahsildar/Naib Tahsildar
Tahsil.....
District.....

FORM-II
(SEE RULE 3)

REPORT OF ACQUISITION OF LEASEHOLD RIGHT OR INTEREST

To,

Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar
.....Tahsil.....
District.....M.P

PART-I

I/We.....(Name).....hereby report the acquisition of leasehold rights or interests in land and request for mutation in land records under section 110 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

1. Particulars of persons acquiring rights or interests:-

| S. No. | Name and Address | Name of Father/ Husband / Guardian | Gender | Age | Mobile Phone Number | Scheduled Tribe/ Other | Aadhar No/ Alternate ID | Remarks |
|--------|------------------|------------------------------------|--------|-----|---------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |

2. Particulars of persons whose rights/interests are transferred or persons assigning their interest to other persons including particulars of persons renouncing their claims on land in favour of any other persons:-

| S. No. | Name & Address | Name of Father/ Husband / Guardian | Gender | Age | Mobile Phone Number | Scheduled Tribe/ Other | Aadhar No/ Alternate ID | Remarks |
|--------|----------------|------------------------------------|--------|-----|---------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |

3. Particulars of land and rights/interests:-

| S. No. | Patwari Halka No/Sector No. | Name of Village/ Urban Area | Survey No./ Block No./ Plot No. | Area in hect./ sq.mtr. | Area of land over which leasehold rights/ interests have been acquired | Names of persons acquiring rights/ interests | Area/share of the persons acquiring rights/ interests |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |

4. Mode of acquisition of leasehold rights/interests:-

| S.No. | Mode | Required Document (self attested copies to be attached) | Please tick (√) If attached |
|-------|---|---|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | By inheritance | 1. Death Certificate or suitable proof of death of the deceased Bhumiswami 2. Family tree/List of successors and their share | |
| 2. | By purchase | Registered lease deed | |
| 3. | By will | Will | |
| 4. | By gift | Registered Gift deed | |
| 5. | By decree of Court | Decree of the court | |
| 6. | By land allotment | Order of the land allotment | |
| 7. | By exchange of land | Registered deed of exchange of land | |
| 8. | By renouncing claims in land | Release deed | |
| 9. | By any other mode (not mentioned above) | Copy/Registered deed of the document assigning/ extinguishing/modifying/creating rights | |

5. Details of fee deposited:-

| (in Rupees) | | |
|-------------------|-----------------|---|
| Amount in figures | Amount in words | Details of receipt of the fee deposited |
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

DECLARATION

1. I/we.....Son of/Daughter of/Wife of
.....address (full address).....
....., Mobile No.....hereby, declare (s) that the information given by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed by me/us. I/we also understand that in case of incorrect information submitted by me/us legal action may be taken against me/us.

2. I/we request that mutation in land records be made as per the information provided by me/us in this application.

Date.....

Place.....

Signature

Name

(Person making report)

Mandatory Enclosures:-

- (1) Copy of khasra
- (2) Copy of pre-mutation sketch (where applicable)
- (3) Copy of proof of address of persons acquiring rights or interests
- (4) Copy of proof of identity of persons acquiring rights or interests
- (5) If person making report is other than the person right or interest, a letter of authority signed by the person acquiring right or interest along with proof of address and proof of identity of the person making report shall be furnished.
- (6) In case of juristic person:-
 - (1) a document establishing the identity of the juristic person such as PAN card, GST registration number, CIN number issued by the Registrar of Companies, Registration Certificate by the Registering Authority such as Registrar of Firms and Societies, Public Trusts etc or Bank Account Pass Book etc.; and
 - (2) a letter of authorization to act on behalf of such juristic person issued by competent body or person shall be attached.
- (7) Copy of the documents specified in para 4 of the report above.
- (8) Copy of receipt of fee.

Notes: (1) Self attested copies of the documents shall be attached with this Form.

(2) Proof of identity may be self attested copy of Aadhar Number, Voter ID, Passport, Driving License, Pass Book of any Nationalized Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

**PART-II
ACKNOWLEDGMENT**

To,

Shri/Smt./Ku.....

Son/Daughter/Wife of.....

Address.....

The report of acquisition of right/interest given in Part-I above is hereby acknowledged.

Date.....

Place.....

Seal

(Name).....

Tahsildar/Addl. Tahsildar/Naib Tahsildar

Tahsil.....

District.....

**FORM-III
(SEE RULE 3)**

REPORT OF A MINOR BHUMISWAMI/LESSEE ATTAINING MAJORITY

To,

Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar

.....Tahsil.....

District.....M.P

PART-I

I/We.....(name),.....hereby report attainment of majority by the following minor Bhumiswamis/lessees and request for mutation in land records under section 110 of the Code.

1. Particulars of persons who have attained majority:-

| S. No. | Name and address | Name of Father/Husband | Gender | Date of birth | Mobile Phone Number | Scheduled Tribe/Other | Aadhar No/Alternate ID | Remarks |
|--------|------------------|------------------------|--------|---------------|---------------------|-----------------------|------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |

2. Particulars of land:-

| S. No. | Patwari halka No/sector No. | Name of Village/Urban area | Survey No./Block No./Plot No. | Area in hect./sq.mtr. |
|--------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

3. Details of fee deposited:-

| Amount in figures | Amount in words | (in rupees) |
|-------------------|-----------------|---|
| | | Details of receipt of the fee deposited |
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

DECLARATION

1. I/we.....Son of/Daughter of/Wife of address (full address)....., mobile No..... hereby, declare (s) that the information given by

me/us is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed by me/us. I/we also understand that in case of incorrect information submitted by me/us, legal action may be taken against me/us.

2. I/we request that mutation in land records be made as per the information provided by me/us in this application.

Date.....

Place.....

Signature

Name

(Person making report)

Mandatory Enclosures:-

- (1) Copy of khasra
- (2) Proof of address of persons attaining majority
- (3) Proof of identity of persons attaining majority
- (4) If person making report is other than the person attaining majority a letter of authority signed by the person attaining majority along with proof of address and proof of identity of the person making report shall be furnished.
- (5) Proof of date of birth.
- (6) Copy of receipt of fee.

- Notes:** (1) Self-attested copies of the documents shall be attached with this Form.
 (2) Proof of identity may be self attested copy of Aadhar Number, Voter ID, Passport, Driving License, Pass Book of any Nationalized Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

PART -II

ACKNOWLEDGMENT

To,

Shri/Smt./Ku.....

Son/Daughter/Wife of.....

Address.....

The intimation of mutation given in Part-I above is hereby acknowledged.

Date.....

Place.....

Seal

(Name).....

Tahsildar/Add.Tahsildar/Naib Tahsildar

Tahsil.....

District.....

4. Mode of acquisition of rights/interests:-

| S.No. | Mode | Required Document (shall be attached) (self attested) | Please tick (√) If the document is attached |
|-------|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | By inheritance | 1. Death Certificate of the deceased or suitable proof of death 2. Family tree/List of successors and their share | |
| 2. | By purchase | Registered sale deed | |
| 3. | By will | Will | |
| 4. | By gift | Registered Gift deed | |
| 5. | By decree of Court | Decree of the court | |
| 6. | By land allotment | Order of land allotment | |
| 7. | By renouncing claims in land | Release deed | |
| 8. | By any other mode (not mentioned above) | Copy/Registered deed of the document assigning/ extinguishing/modifying/creating rights | |

5. Details of fee deposited:-

| Amount in figures | Amount in words | (in rupees) Details of the receipt of the fee deposited |
|-------------------|-----------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

DECLARATION

1. I/we.....Son of/Daughter of/Wife ofaddress (full address)....., mobile no.hereby, declare (s) that the information given by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed by me/us. I/we also understand that in case of incorrect information submitted by me/us, legal action may be taken against me/us.

2. I/we request that mutation in land records be made as per the information provided by me/us in this application.

Date.....

Place.....

Signature

Name

(Persons making report)

Mandatory Enclosures:-

- (1) Copy of khasra
- (2) Copy of pre mutation sketch (where applicable)
- (3) Copy of proof of address of persons acquiring rights or interests
- (4) Copy of proof of identity of persons acquiring rights on interests

- (5) If person making report is other than the person acquiring right or interest, a letter of authority signed by the person acquiring right or interest along with proof of address and proof of identity shall be submitted.
- (6) In case of juristic person:-
- (1) a document establishing the identity of the juristic person such as PAN Card, GST Registration Number, CIN Number issued by the Registrar of Companies, Registration Certificate by the Registering Authority such as Registrar of Firms and Societies, Public Trusts etc or Bank Account pass book etc.; and
- (2) a letter of authorization to act on behalf of such juristic person issued by competent body or person shall be attached.
- (7) Copy of the documents specified in para 4 of the report above.
- (8) Copy of receipt of fee.

Notes: (1) Self attested copies of the documents shall be attached with this Form.
 (2) Proof of identity may be self attested copy of Aadhar Number, Voter ID, Passport, Driving License, Pass Book of any Nationalized Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

PART-II ACKNOWLEDGMENT

To,

Shri/Smt./Ku.....
 Son/Daughter/Wife of.....
 Address.....

The intimation of acquisition of rights/interests given in Part-I above is hereby acknowledged.

Date.....
 Place.....

Seal

(Name).....
 Tahsildar/Add.Tahsildar/Naib Tahsildar
 Tahsil.....
 District.....

FORM-V
(See Rule 3)

**APPLICATION FOR COMMON PROCEEDING FOR MUTATION
AND PARTITION OF HOLDING IN CASE OF LAND ASSESSED FOR THE
PURPOSE OF AGRICULTURE**

To,

Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar
.....Tahsil.....
District.....M.P

PART-I

I/We.....(name),.....hereby report the acquisition of
Bhumiswami right or interest in land and request for a mutation in land records under
Section 110 and partition of holding under section 178 of the Code.

1. Particulars of persons acquiring rights or interests:-

| S. No. | Name and address | Name of Father/ Husband / Guardian | Gender | Age | Mobile phone number | Scheduled Tribe/ Other | Aadhar No/ Alternate ID | Remarks |
|--------|------------------|------------------------------------|--------|-----|---------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |

2. Particulars of persons whose rights are transferred or persons assigning their interest to other persons including particulars of persons renouncing their claims on land in favour of any other person and particulars of all co-sharers:-

| S. No. | Name & Address | Name of Father/ Husband / Guardian | Gender | Age | Mobile phone number | Scheduled Tribe/ Other | Aadhar No/ Alternate ID | Remarks |
|--------|----------------|------------------------------------|--------|-----|---------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |

3. Particulars of land:-

| S. No. | Patwari halka No/sector No. | Name of Village/ Urban area | Survey No./ Block No./ Plot No. | Area in hect. /sq.mtr. | Area of land over which Bhumiswami rights have been accrued/ transferred | Name of persons acquiring rights | Area/share of the persons acquiring rights |
|--------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |

4. Mode of acquisition of Bhumiswami rights:-

| S.No. | Mode | Required Document (self attested copies to be attached) | Please tick (✓) If attached |
|-------|---|--|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | By inheritance | 1. Death Certificate or proof of death of the deceased Bhumiswami 2. Family tree/List of successors and their share | |
| 2. | By purchase | Registered sale deed | |
| 3. | By will | Will | |
| 4. | By gift | Registered Gift deed | |
| 5. | By decree of Court | Decree of the court | |
| 6. | By land allotment | Order of the land allotment | |
| 7. | By exchange of land | Award passed | |
| 8. | By renouncing claims in land | Release deed | |
| 9. | By any other mode (not mentioned above) | Copy/Registered deed of the document assigning/ extinguishing/modifying/creating rights | |

5. Particulars for partition of holding assessed for purpose of agriculture-

| S.No. | Holding Number | Survey Number | Area (in hect.) | Name of Bhumiswami | Share of each Bhumiswami |
|-------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |

6. Details of fee deposited:-

| Amount in figures | Amount in words | (in rupees) Details of receipt of the fee deposited |
|-------------------|-----------------|--|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

DECLARATION

1. I/we.....son of/daughter of/Wife ofaddress (full address)....., mobile no.hereby, declare (s) that the information given by me/us is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed by me/us. I/we also understand that in case of incorrect information submitted by me/us, legal action may be taken against me/us.

2. I/we request that mutation in land records and partition of holding for the purpose of agriculture be made as per the information provided by me/us in this application.

Date.....

Place.....

Signature
Name.....
(Applicant)

Mandatory Enclosures:-

- (1) Copy of khasra
- (2) Copy of pre mutation sketch (where applicable)
- (3) Copy of proof of address of persons acquiring rights or interests
- (4) Copy of proof of identity of persons acquiring rights on interests
- (5) If applicant is other than the person acquiring right or interest, a letter of authority signed by the person acquiring right or interest along with proof of address and proof of identity of the applicant shall be furnished.
- (6) In case of juristic person:-
 - (1) a document establishing the identity of the juristic person such as PAN Card, GST registration number, CIN number issued by the Registrar of Companies, Registration Certificate by the Registering Authority such as Registrar of Firms and Societies, Public Trusts etc or Bank Account pass book etc.; and
 - (2) a letter of authorization to act on behalf of such juristic person issued by competent body or person shall be attached.
- (7) Copy of documents specified in para 4 of the report above.
- (8) Copy of receipt of fee.
- (9) Fard Batwara consented and signed by co-sharers (in undisputed case).

Notes: (1) Self attested copies of the documents shall be attached with this Form.
 (2) Proof of identity may be self-attested copy of Aadhar Number, Voter ID, Passport, Driving License, Pass Book of any Nationalized Bank, or any Photo ID issued or certified by any Gazetted Officer of the State Government or the Central Government.

PART-II**ACKNOWLEDGMENT**

To,

Shri/Smt./Ku.....
 Son/Daughter/Wife of.....
 Address.....

The report of acquisition of right/interest and application for mutation in land records and partition of holding of land assessed for the purpose of agriculture given in Part-I above is hereby acknowledged.

Date.....
 Place.....

Seal

(Name).....
 Tahsildar/Add.Tahsildar/Naib Tahsildar
 Tahsil.....
 District.....

FORM VI
(See rule 4)

**Registering Officer's return of registered transactions,
affecting land in Tahsil.....District.....
Period from.....to.....**

| S.No. In registr ation | Name of Village /urban Area in which the land is situated | Patwari Halka No./ Sector No. | Nature of the docum ent | Survey No. or Block No or Plot No. affected by the transaction | Area affected by transaction (in hect./in sq.mtr.) | Name, address and mobile phone number of the executor of the document | Name, address and mobile phone number of the person in whose favour the document is executed | Date of execution of the document | Details of fee paid for mutation in land records | Remarks |
|---------------------------------|--|---|----------------------------------|--|--|---|---|---|---|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Signature
Sub-Registrar.....
District.....

Place.....
Date.....

Seal

FORM VIII

(See rule 6)

Report of Patwari to Tahsildar under sub-section (2) of section 110

To,

Date.....

Tahsildar/Additional Tahsildar/Naib Tahsildar
Tahsil.....
 District.....M.P

Subject - Intimation of Acquisition of rights interests in land for mutation in land records intimation under sub-section (2) of section 110 of the Code.

This is for your kind information that during the period from.....to.....following reports have been made to me regarding acquisition of rights and interests in land under sub-section (1) of section 109 of the Code.

| S.No. | Date of receipt of report under sub-section (1) of section 109 | Name, Father's/Husband's/Guardian's name, address and mobile phone number of person reporting | Name, Father's/Husband's/Guardian's name, address and mobile phone number of the person acquiring rights/interests | Particulars of land over which rights/interests have been acquired/renound (Tahsil, Patwari Halka No./Urban Area/Village/Sector No./Survey No. Block No./ Plot No. | Nature of change in Rights/interests in land | Form I,II,III,I V or V (as the case may be) | Remarks |
|-------|--|---|--|--|--|---|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | | | | | |

The Forms and enclosures submitted by the applicant are forwarded herewith for necessary action.

Date.....
 Place.....

Name and Signature.....
 Designation.....
 Patwari halka No & Name.....

List of enclosures

- 1.
- 2.

FORM IX
(See rule 10)

**Quarterly Report of the mutation case specified in sub-section (7) of
Section 110 of the Code.**

Position as on(date)

District.....Tahsil.....Name of Court.....

Part A : Summary report of mutation cases pending beyond the two months (for undisputed cases) and six months (for disputed cases).

| S.No. | Type of mutation cases | Total cases pending beyond 2 months/ 6 months (as applicable) | No of cases pending beyond 2 months/6 months (as applicable) | | | | |
|-------|------------------------|---|--|------------|--------------------|----------|----------------|
| | | | 1-2 months | 3-6 months | 6 months to 1 year | 1-2 year | Beyond 2 years |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Undisputed | | | | | | |
| 2. | Disputed | | | | | | |
| | | | | | | | |

Part B : List of undisputed mutation cases pending beyond 2 months.

| S.No. | Case number | Date of institution of the case | Name of the parties | Current status of the case | Period of pendency of case (in years and months) | Reasons for pendency |
|-------|-------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|--|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Part C : List of undisputed mutation cases pending beyond 6 months.

| S.No. | Case number | Date of institution of the case | Name of the parties | Current status of the case | Period of pendency of case (in years and months) | Reasons for pendency |
|-------|-------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|--|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Date.....

Name of Presiding Officer.....

Place.....

Seal

Signature.....

By order and the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.